न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अधिनियम 251 A 21 6/2022
07.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थी के द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते बाबत निकटतम व लघुत्तम एंव वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में चाही गई रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 384/राजस्व/2022 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शे से सहमत होते हुए इसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित करते हुए बहस हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील अप्रार्थी सं. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख दिया गया था तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 7 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु भी दो मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाबदेही का अवसर बन्द किया जाकर बहस हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस ही वकील अप्रार्थी सं. 7 को पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट व नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन करवाया गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 11.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
11.04.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 11/04/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

1. [illegible] दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. नानूराम पुत्र बींजाराम आयु वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. विजयपाल सिंह पुत्र शिशपालसिंह चौहान आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) जरिये पुजारी मनीष शर्मा
4. पटवारी हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
7. शंकरलाल पुत्र स्व0 मालीराम जाति जांगीड़ निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—अप्रार्थीगण —

–:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> ::–

उपस्थितिः–

1. **श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका , अभिभाषक –प्रार्थी**
2. **श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, अभिभाषक –अप्रार्थी संख्या 3**
3. **श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, अभिभाषक –अप्रार्थी संख्या 7**
4. **पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर–अप्रार्थी संख्या 6**

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

–ः निर्णय :–

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर तन् ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है तथा उक्त भूमि से प्रार्थी फसल उत्पन्न करके अपना एंव अपने परिवार का पालन–पोषण करता चला आ रहा हैं तथा अनेक फलदार एंव छायादार वृक्ष लगा रखे है। प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग काफी समय से लेता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ते को उपयोग–उपभोग में लेता चला आ रहा हैं जिसे नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित किया गया हैं। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये एकमात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1509/1 रकबा 0.12 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1509/2 रकबा 0.23 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.57 हैक्टर के उत्तरी पश्चिमी कोने मे से भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.97 हैक्टर की सीमा तक कदीमी रास्ता 30 फुट चौड़ा मौजूद हैं जो वर्तमान में भी चालू हैं तथा उक्त चालू रास्ते पर मोहर्रम भी पडी हुई हैं। उक्त आम रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थी निर्विघ्न रूप से करता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता आने जाने हेतु नही है। उक्त रास्ता कदीमी हैं एंव उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी स्वयं की भूमि मे आने–जाने हेतु काफी समय से उपयोग–उपभोग मे लेता आ रहा हैं एंव उक्त रास्ते से होकर ही प्रार्थी अपनी भूमि मे ट्रैक्टर ट्रोली व लड्डे, कृषि यन्त्र वगैरह लाते ले जाता हैं। प्रार्थी की काश्त की भूमि में इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते मे आने जाने में अप्रार्थीगण रूकावट पैदा करते है। प्रार्थी को आने–जाने नही देते है। प्रार्थी ने मय परिवार अपनी खातेदारी व रिहायशी भूमि [illegible] आबाद है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में रूकावट पैदा करने से प्रार्थी का [illegible] अधिकार का व पशुधन का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। प्रार्थी ने कई मर्तबा उक्त [illegible] को खुलवाने बाबत व शांतिपूर्ण रूप से आमद रफत हो सके इसके लिये राजस्थान सरकार के सम्बन्धित उच्च अधिकारियो को भी निवेदन किया लेकिन अभी तक प्रार्थी को उक्त रास्ता मुहैया नही करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ते के अभाव से प्रार्थी एंव इनके परिवारजन एंव मय पशुधन का जीवन संकटमय हो रहा है। प्रार्थी को रास्ता नही मिलने से प्रार्थी चारो ओर से हताश एंव निराश होकर न्यायालय की शरण में आया है। इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के एवज में अप्रार्थीगण को भूमि देने या वर्तमान डी.एल.सी. दर की राशि देने को तत्पर एंव तैयार है। इसलिये प्रार्थी की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता आमद रफत हेतु खुलवाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर में आने जाने के लिये एकमात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1509/1 रकबा 0.12 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1509/2 रकबा 0.23 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.57 हैक्टर के उत्तरी पश्चिमी कोने मे से भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.97 हैक्टर की सीमा तक कदीमी रास्ता 30 फुट चौड़ा खुलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने व प्रार्थी के आमद रफत चालू करवायी जाने एंव उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाये जाने एंव राजस्व नक्शे में भी तरमीम करवाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 3 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 व श्री अमर शर्मा एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2, 4 लगायत 6 की नोटिस तामील रजिस्टर्ड डाक से तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2, 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एड0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई। बहस उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्त्ता प्रार्थी शंकरलाल पुत्र स्व0 मालीराम जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जागीड़ निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 को अप्रार्थी सं. 7 प्रतिस्थापित किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 7 ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थीगणों को न्यायहित में जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये गये। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शे से सहमत होते हुए इसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित करते हुए बहस हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील अप्रार्थी सं. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख दिया गया था तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 7 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु भी दो मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाबदेही का अवसर बन्द किया जाकर बहस हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एंव आदेशित किया गया कि वाके ग्राम गढ़टकनेत के भूमि खसरा नम्बर 1494 कुल रकबा 0.82 हैक्टर में आवागमन का एकमात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1509/1 रकबा 0.12 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1509/2 रकबा 0.23 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.57 हैक्टर के उत्तरी–पश्चिमी कोने मे से भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.97 हैक्टर की सीमा तक कदीमी रास्ता 30 फुट चौड़ाई में प्रार्थी के आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 का अनुपालन करते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए निकटतम एंव लघुत्तम रास्ते के सम्बन्ध में जरिये पत्रांक 377/रीडर/2022 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा रिपोर्ट चाही गई। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की गई कि 1. क्या प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करें (मय नक्शा ट्रेस एंव नकल जमाबन्दी) 2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एंव किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करावें। 3. यदि वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ता उपलब्ध नहीं है तो मौका कमिश्नर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई व चौड़ाई) एवं क्षेत्र की डी0 एल0 सी0 दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करें (मय पर्चा मौका)। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 384/राजस्व/2022 दिनांक 29.03.2022 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है तथा इसकी अत्यातिक आवश्यकता है। यह केवल शौक के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये जाने पर खसरा नम्बर 1509/1, 1509/2 व 1507 के खातेदारों द्वारा सहमति नहीं होने बाबत अवगत कराया है। सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एंव उसकी डी0एल0सी0 दर की गणना की जाकर भूमि खसरा नम्बर 1509/1 में से 11 X 6= 66 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1509/2 (सिवायचक भूमि) में से 35 X 6= 210 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1507 (मंदिर मूर्ति भूमि) में से 6 X 6= 36 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 312 वर्गमीटर भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 89024/- रूपयें अर्थात कुल राशि 89,024/- रूपये (नवासी हजार चौबीस रूपये मात्र) बनती है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील अप्रार्थी सं. 3 ने बहस सुने जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है को वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया एंव वकील अप्रार्थी सं. 7 ने बहस किये जाने से पूर्व दस्तावेजों की नकल दिलाये जाने बाबत कहा। जिस पर वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी सं. 7 का प्रकरण में कोई हित निहित नहीं [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियों का ना तो खातेदार काश्तकार ही है एंव ना ही उनका कोई इस बाबत हित ही निहित है। अप्रार्थी सं. 7 स्वंय मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमियों

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

पर अतिक्रमण करके केवलमात्र एक अतिक्रमी होने बाबत अवगत कराया गया। दौराने बहस ही वकील अप्रार्थी सं. 7 को पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात् व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन करवाया गया।

हमने बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट व नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एंव वकील अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट व नजरी नक्शें में अंकित उक्त प्रस्तावित रास्ते बाबत अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार कुल 312 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 89024/– रूपये नियमानुसार देय बनते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम– गढ़टकनेत, पटवार हल्का– गढ़टकनेत, तहसील– श्रीमाधोपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1494 कुल रकबा 0.82 हैक्टर में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1509/1 रकबा 0.12 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1509/2 रकबा 0.23 हैक्टर के पश्चिमी दिशा मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.57 हैक्टर के उत्तरी–पश्चिमी कोने मे से भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.82 हैक्टर मे से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.97 हैक्टर की सीमा तक रास्ता जो 30 फुट चौड़ाई से अनाधिक हो जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते [illegible] नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 312 [illegible] भूमि को बिलानाम सरकार किस्म– गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें जिस [illegible] रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

न हो एंव इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर कुल राशि 89,024/– रूपये (नवासी हजार चौब्बीस रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जावें एंव तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावे। उक्त प्रतिकर राशि में से अप्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 1509/1 में से 11 X 6= 66 वर्गमीटर भूमि का भुगतान तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावें एंव खसरा नम्बर 1509/2 की खातेदारी सिवायचक भूमि में से होने से 36 X 6= 210 वर्गमीटर भूमि की राशि जरिये चालान राज्यकोष में जमा करवाई जावे तथा खसरा नम्बर 1507 की खातेदारी मंदिर मूर्ति के नाम होने से (मंदिर मूर्ति भूमि) में से 6 X 6= 36 वर्गमीटर भूमि की राशि देवस्थान विभाग के खाते में जमा करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। अप्रार्थी सं. 7 के अधिवक्ता द्वारा उनकी मौजूदगी में खुले न्यायालय में निर्णय सुनाये जाने के कुछ समय (लगभग 20–25 मीनट) पश्चात् एक प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब हेतु अवसर दिये जाने हेतु पेश किया। साथ ही निर्णय की नकल हेतु एक आवेदन पत्र भी पेश किया गया। चूंकि उभय पक्षों की विधिवत सुनवाई पश्चात् निर्णय पारित कर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। निर्णय की नकल नियमानुसार नकल अनुभाग द्वारा जारी की जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से रास्ते हेतु प्रतिकर कुल राशि कुल राशि 89,024/– रूपये (नवासी हजार चौब्बीस रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करते हुए वाके ग्राम– गढ़टकनेत, पटवार हल्का– गढ़टकनेत, तहसील– श्रीमाधोपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1509, 1509/2, 1507 में रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से अधिक न हो का मौका रिपोर्ट पर रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कुल 312 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म– गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:13:19 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया जावे। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

11/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested